इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स का मासिक न्यूजलेटर प्रति माह 40/ रुपए
(आईएसओ 9001 : 2015 द्वारा प्रमाणित)

व्यावसायिक
उत्कृष्टता के
प्रति प्रतिबद्ध

आईआईबीएफ विजन

खंड : 10 अंक : 12 जुलाई, 2018 पृष्ठों की संख्या 17

विजन : बैंकिंग और वित्त के क्षेत्र में सक्षम व्यावसायिक शिक्षित एवं विकसित करना।

मिशन : प्राथमिक रूप से शिक्षण, प्रशिक्षण, परीक्षा, परामर्श और निरंतर आधार वाले व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों की प्रक्रिया के माध्यम से सुयोग्य और सक्षम बैंकरों एवं वित्तीय व्यावसायिकों का विकास करना।

इस अंक में

मुख्य घटनाएँ ----------2
बैंकिंग से संबन्धित नीतियाँ----------2
बैंकिंग जगत की घटनाएँ ---------- 3
विनियामकों के कथन ----------6
नयी नियुक्तियाँ----------7
विदेशी मुद्रा **----------7**
शब्दावली ----------8
वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी ----------8
संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां ----------9
संस्थान समाचार ----------10
नयी पहलकदमी ---------- 13
बाजार की खबरें ----------15

इस प्रकाशन में समाविष्ट सूचना / समाचार की मदें सार्वजनिक उपयोग अथवा उपभोग हेतु विविध बाह्य स्रोतों/ मीडिया में प्रकाशित हो चुकी/चुके हैं और अब वे केवल सदस्यों एवं अभिदाताओं के लिए प्रकाशित की/ किए जा रही / रहे हैं। उक्त सूचना/समाचार की मदों में व्यक्त किए गए विचार अथवा वर्णित/उल्लिखित घटनाएँ संबन्धित स्रोत द्वारा यथा-अनुभूत हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स समाचार मदों/घटनाओं अथवा जिस किसी भी प्रकार की सच्चाई अथवा यथार्थता अथवा अन्यथा के लिए किसी भी प्रकार से न तो उत्तरदाई है, न ही कोई उत्तरदायित्व स्वीकार करता है।

मुख्य घटनाएँ

दूसरा द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2018-19

वर्तमान और उभरती स्थूल-आर्थिक स्थिति के मूल्यांकन के आधार पर मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने निम्नलिखित उपाय करने का निर्णय लिया :

- चलनिधि समायोजन सुविधा (LAF) के अधीन नीतिगत पुनर्खरीद (repo) दर को 25 आधार अंक बढ़ाने।
- फलत: चलनिधि समायोजन सुविधा के अधीन प्रति-पुनर्खरीद (reverse repo) दर 6% पर समायोजित रखने।
- सीमांत स्थायी सुविधा (MSF) दर और बैंक दर 6.50% पर रखने।

बैंकिंग से संबन्धित नीतियाँ

भारतीय रिजर्व बैंक ने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के तहत आवास ऋण सीमाएं बढ़ाईं

प्रधान मंत्री आवास योजना (PMAY) के अधीन वहनीय आवास को बढ़ावा देने के एक अभियान में भारतीय रिजर्व बैंक ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और न्यूनतर आय समूहों के लिए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र (PSL) उधार के तहत आवास ऋण सीमाएं बढ़ा दी

हैं। अब महानगरों (10 लाख और उससे अधिक की जनसंख्या वाले) में 35 लाख रुपये और अन्य केन्द्रों के मामले में 25 लाख रुपए के आवास ऋण प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के लाभों के लिए पात्र होंगे, बशर्ते उक्त मकान महानगरों में 45 लाख रुपए तथा अन्य केन्द्रों में 30 लाख रुपए से अधिक मूल्य का न हो।

भारतीय रिजर्व बैंक ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के मामले में अनर्जक आस्ति मानदंड संशोधित किए

भारतीय रिजर्व बैंक ने 180 दिनों के विगत बकाए पर आधारित अनर्जक आस्तियों के वर्गीकरण वाली सुविधा सभी मध्यम, लघु एवं सूक्ष्म उद्यमों (MSMEs) को प्रदान कर दी है। वर्तमान में, बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को केवल फ़र्मों के माल एवं सेवा कर (GST) अनुपालक होने पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के प्रति एक्सपोजरों को नियत तिथि के 180 दिन बाद ही अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत किए जाने की अनुमति है। उक्त छूट उधारकर्ता को बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की गैर-निधि-आधारित सुविधाओं सहित समग्र एक्सपोजर के 31 मई, 2018 के दिन 25 करोड़ रुपए से अनधिक होने तथा उधारकर्ता के खाते के 31 अगस्त, 2018 के दिन मानक होने की शर्त पर प्राप्त होगी। इसके अतिरिक्त, 1 सितंबर, 2017 को उधारकर्ता से प्राप्य तथा उसके बाद 31 दिसंबर, 2018 तक देय होने वाले भुगतानों का उनकी मूल देय तिथियों से अधिकतम 180 दिनों के भीतर भुगतान आवश्यक रूप से कर दिया जाना चाहिए।

बैंकिंग जगत की घटनाएँ

भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकार द्वारा स्वाधिकृत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को दी गई छूटें वापस लीं

भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकार द्वारा स्वाधिकृत गैर-बैंक वित्तीय संस्थाओं (NBFCs) को प्रदान की गई विशेष छूटों को समाप्त कर दिया है। तदनुसार, अब उन्हें अनर्जक

आस्तियों के लिए पूर्ण प्रावधानीकरण के अलावा आय निर्धारण के विवेचन का पालन करना होगा। इसके अतिरिक्त, इस वित्तीय वर्ष के अंत तक उन्हें निजी प्रतिस्पर्धियों के अनुरूप कारपोरेट अभिशासन ढांचों और उचित आचार संहिता को कार्यान्वित करना होगा।

सेबी ने मूलभूत सुविधा निवेश न्यासों द्वारा अधिमानी निर्गमों के लिए दिशानिर्देश जारी किए

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने सूचीबद्ध मूलभूत सुविधा निवेश न्यासों (InvITs) के लिए संस्थागत निवेशकों को यूनिटों के अधिमानी निर्गम जारी करने हेतु एक विस्तृत रूपरेखा जारी की है। अधिमानी निर्गमों को मूलभूत सुविधा निवेश न्यासों के यूनिट धारकों द्वारा संकल्प पारित किए जाने की तिथि से 12 माह के भीतर पूरा किया जाना आवश्यक होता है। किसी अधिमानी निर्गम में यूनिटें एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम दो निवेशकों और अधिकतम 1,000 निवेशकों को प्रदान एवं आबंटित की जाएंगी। मूलभूत सुविधा निवेश न्यास द्वारा यूनिटों के अधिमानी निर्गमों में अंतर छः माह होना चाहिए तथा आबंटन 12 दिनों के भीतर कर दिया जाना आवश्यक होता है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को जून तिमाही हेतु एमटूएम हानियों को बिखेरने की अनुमति दी

बांड प्रतिफलों में निरंतर वृद्धि होने के परिणामस्वरूप भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को 30 जून, 2018 के लिए प्रतिभूतियों को बाजार भाव पर दर्शाये जाने (mark to market) से संबन्धित अपनी हानियों को बिखेरने की अनुमति दे दी है। दिसंबर, 2017 और मार्च, 2018 में समाप्त तिमाहियों के लिए भी यही विकल्प प्रदान किया गया था। इसके पूर्व भारतीय रिजर्व बैंक ने भविष्य में प्रतिफलों में वृद्धि के समक्ष संरक्षित रहने हेतु यथोचित आरक्षित निधियाँ रखने के लिए बैंकों से बिक्री के लिए उपलब्ध (AFS) और व्यापार के लिए धारित (HFT) श्रेणियों में उनकी धारिताओं की 2% की निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि (IFR) एकत्रित करने के लिए कहा था।

भारतीय रिजर्व बैंक ने स्वर्ण योजना संशोधित की

भारतीय रिजर्व बैंक ने स्वर्ण मुद्रीकरण योजना (GMS) को और आकर्षक बनाने के लिए जनता को अडचन-रहित स्वर्ण जमा खाता खोलने में समर्थ बनाने हेतु उसे संशोधित कर दिया है। इन अल्पावधिक जमाओं को बैंकों की तुलनपत्र में शामिल देयताएं माना जाना चाहिए तथा ये 1 से 3 वर्ष तक की (एक विस्तारण सुविधा के साथ) अल्प अवधि के लिए बैंकों की अभिहित शाखाओं में जमा किए जाएंगे। ये जमाएँ खंडित अवधियों (यथा 1 वर्ष 3 माह, 2 वर्ष 4 माह 5 दिन आदि) के लिए अनुमत होंगी। इस प्रकार की जमाओं पर ब्याज दर की गणना पूरे वर्ष के लिए ब्याज के योग जोड़िए शेष बचे दिनों के लिए ब्याज के रूप में की जानी चाहिए।

भारतीय रिजर्व बैंक सभी उधारकर्ताओं के संबंध में सार्वजनिक ऋण रजिस्ट्री गठित करेगा

भारत के लिए सार्वजनिक ऋण रजिस्ट्री (PCR) के संबंध में उच्च स्तरीय कार्य बल (अध्यक्ष श्री यशवंत एम॰ देवस्थली) की सिफ़ारिशों के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक सभी उधारकर्ताओं के संबंध में सूचना के समावेश वाली एक सार्वजनिक ऋण रजिस्ट्री की स्थापना कर रहा है। इस कार्य के लिए सुप्रचालनिक व्यवस्था करने में सहायता करने हेतु एक कार्यान्वयन कार्य बल (ITF) का गठन किया जा रहा है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा बाँड़ों में निवेश हेतु मानदंड शिथिल किए

विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा कारपोरेट बान्डो में निवेश संबंधी ऐसे लेनदेनों को जो प्रक्रियाधीन थे, किन्तु 27 अप्रैल, 2018 को सम्पन्न नहीं हुए थे (पाइपलाइन निवेश), भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अप्रैल, 2018 में निर्धारित पूर्ववर्ती अपेक्षाओं से इस शर्त पर छूट दे दी गई है कि विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के अभिरक्षक अपने आपको इस बात के प्रति यथोचित रूप से संतुष्ट कर लें कि कीमत/दर, अवधि और निवेश की रकम

जैसे प्रमुख मापदंडों के बारे में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक और जारीकर्ता के बीच अप्रैल, 2018 को या उससे पूर्व सहमति हो गई हो, वास्तविक निवेश 31 दिसंबर, 2018 तक प्रारम्भ हो जाएगा तथा उक्त निवेश 27 अप्रैल, 2018 के पूर्व कारपोरेट बाँड़ों में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश को अभिशासित करने वाले वर्तमान विनियमों के अनुरूप हो।

बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक के निदेश : एटीएमों का चरणबद्ध रीति से कोटि-उन्नयन करें

एटीएमों के मामले में अपने नियंत्रणात्मक उपायों के एक अंग के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों और श्वेत लेबल एटीएम प्रचालकों (WLAOS) को स्किमिंग-रोधी और श्वेत सूचीकरण (white listing) समाधानों को मार्च, 2019 तक कार्यान्वित करने तथा जून, 2019 तक सभी एटीएमों का परिचालन प्रणाली के समर्थित संस्करण के साथ चरणबद्ध रीति से कोटि-उन्नयन करने का निदेश दिया है। बैंक और श्वेत लेबल एटीएम प्रचालकों से बेसिक इनपुट-आउटपुट प्रणाली (BIOS) पासवर्ड, यूएसबी पोर्टों (USB Ports) को अशक्त करने, स्वत: चालन (auto-run) सुविधा को अशक्त करने, परिचालन प्रणाली के अद्यतन पैचों का प्रयोग करने तथा अन्य बातों के साथ ही अन्य साफ्टवेयर, टर्मिनल सुरक्षा समाधानों एवं समय पर आधारित ऐडमिन अभिगम जैसे सुरक्षा उपायों को कार्यान्वित करने हेतु कहा गया है।

विनियामको के कथन

आईबीसी, दबाव संबंधी नए मानदंड प्रणाली के लिए शुभ सिद्ध हुए

भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर डा॰ विरल आचार्य ने यह मत व्यक्त किया है कि दिवाला और दिवालियापन संहिता (IBC) जैसी नयी पहलकदमियां इस प्रक्रिया में कुछ अल्पावधिक दिक्कतों के बावजूद निर्धारित कार्य-कुशलता और वित्तीय स्थिरता के लिए शुभ सिद्ध हुई हैं। वे यह महसूस करते हैं कि घरेलू अर्थव्यवस्था शक्तिशाली हो रही है, यद्यपि जिंस की वैश्विक कीमत में उतार-चढ़ाव और विक्षुब्ध पूंजी प्रवाह आत्मतुष्टि के लिए मामूली गुंजाइश का संकेत करते हैं।

नयी नियुक्तियाँ

नाम	पदनाम/संगठन
श्री एम॰ के॰ जैन	उप गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक
श्री एच॰ आर॰ खान	गैर-कार्यपालक अध्यक्ष, बंधन बैंक
श्री बी॰ श्रीराम	प्रबंधा निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, आईडीबीआई बैंक

विदेशी मुद्रा

विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियाँ

मद	22 जून, 2018 के दिन बिलियन रुपए	22 जून, 2018 के दिन मिलियन अमरीकी डालर
1. कुल प्रारक्षित निधियाँ	27,619.2	4,07,815.6
1.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	25,910.3	3,82,499.6
1.2 सोना	1,438.9	21,331.5
1.3 विशेष आहरण अधिकार	101.1	1, 491.1
1.4 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में प्रारक्षित निधि की स्थिति	168.9	2,493॰0

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक

जुलाई, 2018 माह के लिए लागू अनिवासी विदेशी मुद्रा (बैंक) की न्यूनतम दरें

विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमाराशियों की आधार दरें

मुद्रा	1 वर्ष	2 वर्ष	3 वर्ष	4 वर्ष	5 वर्ष
अमरीकी डालर	2.59400	2.77200	2.84200	2.86600	2.87600
जीबीपी	0.84540	1.0190	1.1374	1.2295	1.3040
यूरो	-0.22000	-0.172	0.023	0.123	0.274
जापानी येन	0.03630	0.058	0.078	0.085	0.108
कनाडाई डालर	2.12000	2.215	2.319	2.380	2.422
आस्ट्रेलियाई डालर	2.07000	2.100	2.170	2.420	2.510
स्विस फ्रैंक	-0.61500	-0.537	-0.391	-0.250	-0.075
डैनिश क्रोन	-0.12230	0.0420	0.0989	0.2595	0.4150
न्यूजीलैंड डालर	2.08000	2.159	2.284	2.416	2.547
स्वीडिश क्रोन	-0.31300	-0.138	0.058	0.255	0.440
सिंगापुर डालर	1.85000	2.055	2.175	2.263	2.333

हांगकांग डालर	2.29000	2.510	2.640	2.720	2.770
म्यामार	3.74000	3.760	3.795	3.850	3.890

स्रोत : www.fedai.org.in

शब्दावली

श्वेत लेबल एटीएम प्रचालक

भारतीय रिजर्व बैंक ने कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन भारत में निगमित बैंकेतर कंपनियों को भारत में एटीएम स्थापित करने, उनका स्वामित्व रखने और उन्हें प्रचालित करने की अनुमति प्रदान की थी। एटीएम स्थापित करने, उनका स्वामित्व रखने और उन्हें प्रचालित करने की इच्छुक बैंकेतर कंपनियों को "श्वेत लेबल एटीएम प्रचालक (WLAO)" नाम दिया जाता है तथा ऐसे एटीएमों को "श्वेत लेबल एटीएम (WLAs)" कहा जाता है। वे भारत में बैंकों के ग्राहकों को बैंकों द्वारा जारी कार्डों (डेबिट/क्रेडिट/पूर्वप्रदत्त) के आधार पर बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करते हैं।

वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी

वर्तमान एक्सपोजर पद्धति

बाजार से संबन्धित तुलनपत्र-बाह्य लेनदेन की ऋण समतुल्य रकम की गणना वर्तमान एक्सपोजर पद्धति का उपयोग करते हुए इन संविदाओं के संभाव्य भावी ऋण एक्सपोजर में वर्तमान ऋण एक्सपोजर को जोड़कर की जाती है। वर्तमान ऋण एक्सपोजर को किसी संविदा के धनात्मक बाजार मूल्य के योग के रूप में परिभाषित किया गया है। वर्तमान एक्सपोजर पद्धति में संविदाओं को बाजार मूल्य पर दर्शा कर वर्तमान ऋण एक्सपोजर की आवधिक गणना की आवश्यकता होती है, इसप्रकार वर्तमान ऋण एक्सपोजर का पता लगाया जाता है। संभाव्य भावी ऋण एक्सपोजर का निर्धारण लिखत की प्रकृति और अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार इस बात पर ध्यान दिये बिना

कि संविदा का बाजार भाव पर मूल्य शून्य है, धनात्मक है या फिर ऋणात्मक है इन संविदाओं में से प्रत्येक की आनुमानिक मूल रकम में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित संबन्धित योजक कारक द्वारा गुणा करके किया जाता है।

संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां

जुलाई 2018 माह के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

कार्यक्रम	तिथियाँ	स्थल
वसूली प्रबंधन कार्यक्रम	24 से 26 अगस्त, 2018	मुंबई
प्रमाणित ऋण व्यावसायिकों के लिए परीक्षोंपरांत कक्षा में प्रशिक्षण प्रौद्योगिकी पर आधारित कक्षा में प्रशिक्षण विधि (VCRT Mode)	23 से 25 अगस्त, 2018	मुंबई
प्रमाणित ऋण व्यावसायिकों के लिए परीक्षोंपरांत कक्षा में प्रशिक्षण प्रौद्योगिकी पर आधारित कक्षा में प्रशिक्षण विधि (VCRT Mode)	24 से 26 जुलाई, 2018	मुंबई
प्रमाणित खजाना व्यावसायिकों के लिए परीक्षोंपरांत कक्षा में प्रशिक्षण प्रौद्योगिकी पर आधारित कक्षा में प्रशिक्षण विधि (VCRT Mode)	13 से 15 जुलाई, 2018	मुंबई
प्रमाणित ऋण व्यावसायिकों के लिए परीक्षोंपरांत कक्षा में प्रशिक्षण प्रौद्योगिकी पर आधारित कक्षा में प्रशिक्षण विधि विधि (VCRT Mode)	25 से 27 जुलाई, 2018	मुंबई
प्रमाणित ऋण व्यावसायिकों के लिए परीक्षोंपरांत कक्षा में प्रशिक्षण प्रौद्योगिकी पर आधारित कक्षा में प्रशिक्षण विधि (VCRT Mode)	16 से 18 जुलाई, 2018	नई दिल्ली
प्रमाणित ऋण व्यावसायिकों के लिए परीक्षोंपरांत कक्षा में प्रशिक्षण प्रौद्योगिकी पर आधारित कक्षा में प्रशिक्षण विधि (VCRT Mode)	05 से 07 जुलाई, 2018	चेन्नै
तुलनपत्र वाचन एवं अनुपात विश्लेषण पर कार्यक्रम	16 से 17 जुलाई, 2018	चेन्नै

संस्थान समाचार

वार्षिक साधारण सभा, 2018

संस्थान की 91वीं वार्षिक साधारण सभा शनिवार, 21 जुलाई, 2018 को सायं 4.00 बजे संस्थान के कारपोरेट कार्यालय में आयोजित की जाएगी।

परीक्षा शुल्क वसूल करने के नियमों में परिवर्तन

संस्थान ने 1 जुलाई, 2017 से सेवा कर के स्थान पर माल एवं सेवा कर (GST) प्रणाली अपना ली है। एसोसिएट, डिप्लोमा और मिश्रित पाठ्यक्रमों के लिए परीक्षा शुल्क वसूल करने के पूर्ववर्ती नियम में यह निर्धारण था कि अभ्यर्थियों को दो प्रयासों के लिए परीक्षा शुल्क का भुगतान एक साथ करना होगा। माल एवं सेवा शुल्क प्रावधानों का पालन करने तथा कर भुगतान प्रबंधन को सरल बनाने के लिए शुल्क वसूल करने से संबन्धित नियम को पुनर्विन्यस्त किया गया है। अब संस्थान प्रत्येक प्रयास के लिए अभ्यर्थियों से परीक्षा शुल्क अलग-अलग वसूल करेगा। अतएव, अभ्यर्थियों को प्रत्येक प्रयास के लिए अलग-अलग पंजीकरण करवाना होगा।

''बैंकिंग: आगामी दशक में पदार्पण'' पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन

संस्थान ने 2018 में बैंकिंग उद्योग की 90 वर्षों की समर्पित सेवा पूरी कर ली है और इस अवसर का स्मरणोत्सव मनाने के लिए हम 25 सितंबर, 2018 को होटल ट्राइडेंट, बांद्रा-कुर्ला काम्प्लेक्स, मुंबई में ''बैंकिंग: आगामी दशक में पदार्पण'' पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं।

बैंकों में क्षमता निर्माण

भारतीय रिजर्व बैंक ने 11 अगस्त, 2016 की अपनी अधिसूचना के द्वारा यह अनिवार्य कर दिया है कि प्रत्येक बैंक के पास परिचालन के प्रमुख क्षेत्रों में उपयुक्त योग्यता/प्रमाणन सहित कर्मचारियों को परिनियोजित करने के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित एक नीति होनी चाहिए। प्रारम्भिक तौर पर उन्होंने निम्नलिखित क्षेत्र अभिज्ञात किया है :

- **खजाना प्रबंधन : व्यापारी, मिड आफिस परिचालन।**
- **जोखिम प्रबंधन : ऋण जोखिम, बाजार जोखिम, परिचालन जोखिम, उद्यम-व्यापी जोखिम, सूचना सुरक्षा, चलनिधि जोखिम।**
- **लेखांकन – वित्तीय परिणाम तैयार करना, लेखा-परीक्षा कार्य।**
- ऋण प्रबंधन : ऋण मूल्यांकन, श्रेणी-निर्धारण, निगरानी, ऋण संचालन।

कालांतर में भारतीय रिजर्व बैंक के निदेश पर भारतीय बैंक संघ ने उपयुक्त संस्थाओं एवं ऐसे पाठ्यक्रमों की पहचान के लिए एक विशेषज्ञ दल का गठन किया था, जो आवश्यक प्रमाणन प्रदान कर सकें। इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैंस उनमें से एक तथा एकमात्र ऐसी संस्था है जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अभिज्ञात चार में से तीन क्षेत्रों में उक्त प्रमाणन प्रदान करती है।

इसके अतिरिक्त, भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय बैंक संघ को संबोधित तथा प्रति इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैंस को पृष्ठांकित दिनांक 31 मई, 2017 के अपने पत्र के तहत यह कहा है कि **भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ के सहयोग से इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स द्वारा उपलब्ध कराया जाने वाला विदेशी मुद्रा में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम ऐसे** सभी बैंक कर्मचारियों, जो खजाना परिचालन सहित विदेशी मुद्रा परिचालन के क्षेत्र में कार्यरत है या कार्य करने के इच्छुक हैं, के लिए एक अनिवार्य प्रमाणन होगा।

संस्थान द्वारा खजाना परिचालन, जोखिम प्रबंधन और ऋण प्रबंधन के क्षेत्र में उपलब्ध कराये जाने वाले पाठ्यक्रम आनलाइन परीक्षा के साथ प्रकृति की दृष्टि से मिश्रित हैं जिसके बाद उनमें
ऐसे अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है जिन्होंने आनलाइन परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कर ली है। परीक्षा हेतु पंजीकरण और अधिक विवरण के लिए वेबसाइट www.iibf.org.in.देखें।

प्रौद्योगिकी पर आधारित कक्षा में समाधान

संस्थान ने प्रौद्योगिकी पर आधारित कक्षा वाली विधि के माध्यम से प्रशिक्षण संचालित करने हेतु एक साफ्टवेयर अभिगृहीत किया है। यह साफ्टवेयर गुणवत्ता में किसी प्रकार की कमी लाये बिना संस्थान को प्रशिक्षार्थियों की काफी बड़ी संख्या तक प्रशिक्षण सामग्री

प्रसारित करने में समर्थ बनाएगा। वित्तीय सेवाओं में जोखिम में प्रौद्योगिकी पर आधारित प्रशिक्षण भी आरंभ कर दिया गया है। अधिक विवरण के लिए हमारी वेबसाइट www.iibf.org.in देखें।

परीक्षा के लिए छद्म जांच सुविधा

संस्थान अपने प्रमुख पाठ्यक्रमों यथा जेएआईआईबी और सीएआईआईबी के अलावा अपने तीन विशिष्टीकृत पाठ्यक्रमों नामत: प्रमाणित खजाना व्यावसायिक, प्रमाणित ऋण व्यावसायिक तथा वित्तीय सेवाओं में जोखिम के लिए छद्म जक्ष्च की सुविधा प्रदान कर रहा है। अब छद्म जक्ष्च में किसी भी बैंक का कर्मचारी शामिल हो सकता है।

वीडियो व्याख्यान अब यूट्यूब पर उपलब्ध

संस्थान द्वारा जेएआईआईबी के तीन अनिवार्य प्रश्नपत्रों और सीएआईआईबी के दो अनिवार्य प्रश्नपत्रों के लिए प्रदान की जाने वाली वीडियो व्याख्यान की सुविधा संस्थान के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध होगी। उसके लिए लिंक है https:/ www.youtube.com/channel/UCjfflktvEh8yLb3vwxosGow/playlists"

मुंबई और कोलकाता स्थित संस्थान के स्वयं अपने परीक्षा केन्द्रों में परीक्षाएँ

इसके पूर्व संस्थान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME), ग्राहक सेवा और धन-शोधन निवारण/आतंकवाद के वित्तीयन का मुक़ाबला नामक अपने तीन पाठ्यक्रमों के लिए प्रत्येक महीने के दूसरे और चौथे शनिवारों को मुंबई एवं कोलकाता स्थित स्वयं अपने परीक्षा केन्द्रों में परीक्षाएँ आयोजित करता था। **अब ऊपर वर्णित परीक्षाएँ प्रत्येक महीने के 1ले और 3रे शनिवारों को आयोजित की जाएंगी।** अभ्यर्थीगण अपनी पसंद की परीक्षा की तिथि एवं केंद्र का चयन कर

सकते हैं। पंजीकरण पहले आए, पहले पाये के आधार पर होगा। उपर्युक्त पाठ्यक्रमों की परीक्षा का कार्यक्रम हमारी वेबसाइट www.iibf.org.in.पर उपलब्ध है।

आगामी अंकों के लिए बैंक क्वेस्ट की विषय-वस्तुएं

13

बैंक क्वेस्ट के आगामी अंकों के लिए निर्धारित विषय-वस्तुये निम्नानुसार हैं :

सूक्ष्म शोध आलेख 2018 : अक्तूबर - दिसंबर, 2018

पारस्परिक निधियाँ : जनवरी - मार्च, 2018

बैंकों में आचारशास्त्र और कारपोरेट अभिशासन : अप्रैल - जून, 2018

बैंकिंग में उभरते प्रौद्योगिकीय परिवर्तन : जुलाई - सितंबर, 2018

परीक्षाओं के लिए दिशानिर्देशों /महत्वपूर्ण घटनाओं की निर्धारित तिथि

संस्थान में इस बात की जांच करने के उद्देश्य से कि अभ्यर्थी अपने –आपको वर्तमान घटनाओं से अवगत रखते हैं या नहीं प्रत्येक परीक्षा में कुछ प्रश्न हाल की घटनाओं/ विनियामक/कों द्वारा जारी दिशानिर्देशों के बारे में पूछे जाने की परंपरा है। हालांकि, घटनाओं/दिशानिर्देशों में प्रश्नपत्र तैयार किए जाने की तिथि से और वास्तविक परीक्षा तिथि के बीच की अवधि में कुछ परिवर्तन हो सकते हैं। इन मुद्दों का प्रभावी रीति से समाधान करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि :

(i) संस्थान द्वारा फरवरी, 2017 से जुलाई, 2017 तक की अवधि के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के संबंध में प्रश्नपत्रों में समावेश के लिए विनियामक/कों द्वारा जारी अनुदेशों/दिशानिर्देशों और बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र में 31 दिसंबर, 2016 तक की महत्वपूर्ण घटनाओं पर ही विचार किया जाएगा।

(ii) संस्थान द्वारा अगस्त, 2017 से जनवरी, 2018 तक की अवधि के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के संबंध में प्रश्नपत्रों में समावेश के लिए विनियामक/कों द्वारा जारी अनुदेशों/दिशानिर्देशों
और बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र में 30 जून, 2017 तक की महत्वपूर्ण घटनाओं पर ही विचार किया जाएगा।

नई पहलकदमी

सदस्यों से अनुरोध है कि वे संस्थान के पास मौजूद उनके ई-मेल पते अद्यतन करा लें तथा वार्षिक रिपोर्ट ई-मेल के जरिये प्राप्त करने हेतु अपनी सहमति भेज दे।

आईआईबीएफ विजन के स्वामित्व और अन्य विवरणों से संबन्धित वर्णन

14

इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स का जर्नल

1॰ प्रकाशन स्थल	: मुंबई
2. प्रकाशन की आवधिकता	: मासिक
3. प्रकाशक का नाम	: डा॰ जिबेन्दु नारायण मिश्र
राष्ट्रीयता	: भारतीय
पता	: इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स कोहिनूर सिटी, कामर्शियल- II, टावर 1, किरोल रोड, कुर्ला (प), मुंबई- 400 070
4. संपाद्क का नाम	: डा॰ जिबेन्दु नारायण मिश्र
राष्ट्रीयता	: भारतीय
पता	: इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स कोहिनूर सिटी, कामर्शियल- II, टावर 1, किरोल रोड, कुर्ला (प), मुंबई- 400 070
5 प्रिन्टिंग प्रेस का नाम	: आनलुकर प्रेस, 16 सासून डाक, कोलाबा, मुंबई- 400 005
6. स्वामियों के नाम एवं पता	: इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स कोहिनूर सिटी, कामर्शियल- II, टावर 1, किरोल रोड, कुर्ला (प), मुंबई- 400 070

मैं, डा॰ जे॰ एन॰ मिश्र, एतदद्वारा यह घोषणा करता हूं कि ऊपर दिये गए विवरण मेरी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य हैं।

31-03-2017

डा॰ जे॰ एन॰ मिश्र
प्रकाशक के हस्ताक्षर

समाचार पंजीयक के पास आरएनआई संख्या 69228/1998 के अधीन पंजीकृत

बाजार की ख़बरें

15

भारित औसत मांग दरें

भारतीय रिजर्व बैंक की संदर्भ दर

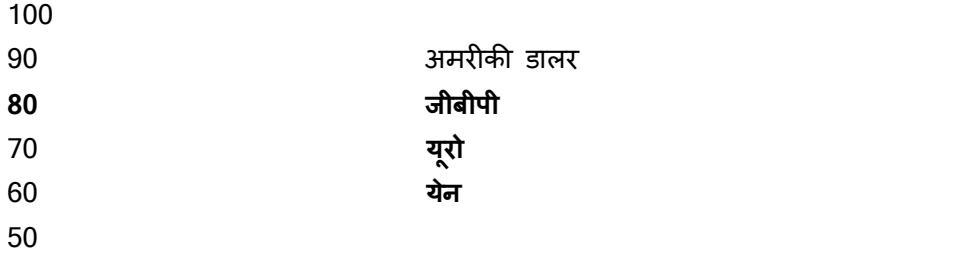

खाद्येतर ऋण वृद्धि %

12
10
8
6
4
16
2
0
दिसंबर, 2017, जनवरी, 2018, फरवरी, 2018, मार्च, 2018, अप्रैल, 2018, मई, 2018
स्रोत : मंथली रिव्यू आफ इकानामी, भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड, जून, 2018

बंबई शेयर बाजार सूचकांक

38000.00
36000.00
34000.00
32000.00
30000.00
28000.00
26000.00
जनवरी, 2018, फरवरी, 2018, मार्च, 2018, अप्रैल, 2018, मई, 2018, जून, 2018
स्रोत : बंबई शेयर बाजार (B S E)

समग्र जमा वृद्धि %

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
दिसंबर, 2017, जनवरी, 2018, फरवरी, 2018, मार्च, 2018, अप्रैल, 2018, मई, 2018
स्रोत : मंथली रिव्यू आफ इकानामी, भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड, जून, 2018

डा॰ जे॰ एन॰ मिश्र द्वारा मुद्रित, डा॰ जे॰ एन॰ मिश्र द्वारा इंडियन इंस्टिट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स की ओर से प्रकाशित तथा आनलुकर प्रेस, 16 सासुन डाक, कोलाबा, मुंबई- 400 018 में मुद्रित एवं इंडियन इंस्टिट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स, कोहिनूर सिटी, कामर्शियल-II, टावर-1, 2री मंजिल, किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम),,मुंबई – 400 070 से प्रकाशित।
संपादक : डा॰ जे॰ एन॰ मिश्र

इंडियन इंस्टिट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स
कोहिनूर सिटी, कामर्शियल-II, टावर-1, 2री मंजिल,
किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम), ,मुंबई – 400 070
टेलीफोन : 91-22-2503 9604/ 9607 फैक्स : 91-22-2503 7332
तार : INSTIEXAM ई-मेल : admin@iibf.org.in.
वेबसाइट : www.iibf.org.in.

आईआईबीएफ विजन जुलाई, 2018